

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
केम्प इंदौर

R-3267-PBR/14 (116)

जगन्नाथ पिता नन्दा माली
नि. ग्राम मेढवाडा तेह. देपालपुर
जिला इंदौर

.....प्रार्थी / रिविजनकर्ता

विरुद्ध

1. तोलाराम पिता अमरसिंह
निवासी- बेटमा तेह. देपालपुर जिला इन्दौर
2. स्त्रिपति इन्टरप्राईजेस
प्रोप्रा- मनीष सिरालकर,
केसर काम्पलेक्स पीथमपुर
3. मुन्नालाल पिता मुंशीलाल सोनिक
83, हाउसिंग कॉलोनी पीथमपुर
4. प्रवीण पिता दामोदर दास
205, सीमरन पार्क इंदौर
5. गिरधारी पिता लक्ष्मीनारायण पांचाल
निवासी-सरगरा मोहल्ला पीथमपुर
6. संत निराकारी मण्डल तर्फे
शेरसिंह पिता माधोसिंह गायडी
नि. संत निराकारी भवन 102/3, इंदौर
7. मनीष पिता मनोहरसिंह भटनागर
निवासी- इंदौर
8. नानकराम पिता ज्ञानचन्द
43, यादव काम्पलेक्स सागर कुटी,
पीथमपुर

----- प्रतिप्रार्थी/रिस्पो.

रिविजन धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत।

रा.रा. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय देपालपुर के प्रकरण क्र. 98/अपील/2013-2014 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 08.07.2014 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी अन्दर म्याद रिविजन न्यायार्थ प्रस्तुत करता है।

:: प्रकरण के तथ्य ::

1. प्रतिप्रार्थी क्र. 1 तोलाराम ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय देपालपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसके ग्राम मेढवाडा तेह. देपालपुर भूमि सर्वे क्र. 559 रकबा 1.117 की भूमि पर वर्ष 1980-81 में राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी क्र. 2 से 8 तक का नाम छल कपट करके अंकित करवा लिया और प्रतिप्रार्थी क्र. 1 तोलाराम का नाम कम करवा दिया इस नामांतरण इन्दाज से

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3267-पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
----------------	--------------------	--------------------------------------

12-03-19

प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।


3/3


अध्यक्ष